4258/11.3.10

861

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव

अर्द्धशा0प0सं0–3436/दो–2–2010

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–2
लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1/3/98–का प्रसको/1999, दिनांक 14.6.1999 में व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। यह अनुभव किया गया है कि पासपोर्ट निर्गत करने/निजी कार्य/निजी व्यय पर विदेश जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रविष्टियां न होने के कारण उन्हें पूर्ण कराने में अनावश्यक रूप से पत्राचार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि पासपोर्ट बनवाने/नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र नियुक्ति विभाग में प्रस्तुत करते समय अपनी पासपोर्ट साइज की दो फोटोग्राफ के साथ निम्नलिखित सूचनाएं भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है:–

(1) अधिकारी द्वारा क्या पूर्व में विदेश यात्रा की गयी है? यदि हां, तो यात्रा की अवधि एवं स्थान तथा उक्त यात्रा राजकीय थी अथवा व्यक्तिगत?
(2) पासपोर्ट बनवाने हेतु अधिकारी का आवेदन पत्र कभी निरस्त तो नहीं किया गया था?

उक्त के अतिरिक्त विदेश यात्रा पर जाने हेतु आवेदन करते समय उपर्युक्त सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है:–

(1) यात्रा पर जाने का स्थान (देश)
(2) यात्रा का उद्देश्य।
(3) यात्रा पर आने वाला अनुमानित व्यय।
(4) उक्त अनुमानित व्यय की आय का स्रोत।

आपसे अनुरोध है कि विदेश यात्रा/पासपोर्ट बनवाने/नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त तथ्यों का समावेश करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र) 23/1

समस्त पी0सी0एस0 अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।